भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3046
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

न्यायालय में कदाचार की शिकायतें

3046. श्री अमरा राम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयों और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) न्यायालयों में कदाचार की शिकायतों को हल करने के लिए क्या तंत्र मौजूद है ; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान महिलाओं के विरुद्ध दुराचार की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनपर की गई कार्यवाही सहित परिणाम क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटान न्यायपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में है । तथापि, न्यायालयों में मामलों का निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, भौतिक अवसंरचना और सहायक न्यायालयी कर्मचारियों की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों अर्थात् बार, जांच एजेंसियों, साक्षियों और वादियों का सहयोग तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित है । मामलों के निपटान में देरी के लिए उत्तरदायी अन्य कारकों में, विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा निर्धारित समय-सीमा का अभाव, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की निगरानी, ट्रैक और समूहीकरण के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव सम्मिलित है ।

राज्य सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या वर्ष 2014 में 19,518 से बढ़ाकर तारीख 09.12.2024 तक 25,741 कर दी गई है । संबंधित राज्य सरकारों, संबंधित उच्च न्यायालयों और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अनुमोदन से, तारीख 01.05.2014 से तारीख 09.12.2024 की अवधि के दौरान, केंद्रीय सरकार ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 906 से बढ़ाकर 1122 कर दी है, अर्थात् 216 पद बढ़ गए हैं ।

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019, तारीख 09.08.2019 से प्रवृत्त हुआ, जिसके द्वारा उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करके भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वीकृत संख्या (मुख्य न्यायमूर्ति के सिवाय) 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई ।

(ग) : भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं । इसी प्रकार, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति, अपने न्यायालयों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं । राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के पास होता है।

(घ) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों के दौरान, भारत के उच्चतम न्यायालय की आंतरिक शिकायत समिति के पास चार शिकायतें फाइल की गईं, जिनमें से दो को वापस ले लिया गया और शेष दो को आचरण नियम/POSH अधिनियम के अनुसार निपटाया गया । उक्त दोनों मामलों में प्रस्तुत रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ।

इसके अतिरिक्त, भारत के उच्चतम न्यायालय की एक लिंग संवेदनशीलता आंतरिक शिकायत समिति है, जो "भारत के उच्चतम न्यायालय में महिलाओं की लिंग संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण), विनियम, 2013" और उच्चतम न्यायालय में महिलाओं का लिंग संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) दिशानिर्देश, 2015 नामक, अपने स्वयं के नियमों द्वारा शासित होती है । इन नियमों के अधीन, पिछले पाँच वर्षों में 16 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनका विधिवत निपटारा किया गया है।

तथापि, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर पर प्राप्त महिलाओं के विरुद्ध दुर्व्यवहार की शिकायतों का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है ।

****